सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 07.05.2025

नाबालिग बच्ची से गलत नीयत से छेडछाड़ करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सैफई के कुशल नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.05.2025 को थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी द्वारा थाना चौबिया पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.05.2025 की शाम समय 8.30 बजे पडोस की बारात में आतिशबाजी/पटाखे लगाने वाले रुकमान खाँ पुत्र अमीर खाँ निवासी पुंजा थाना चौबिया जनपद इटावा द्वारा वादिनी की 04 वर्षीय पुत्री के साथ बुरी नियत से छेडछाड की गयी।

तहरीर के आधार पर थाना चौबिया पर **मु0अ0सं0-66/2025 धारा 75(1) बीएनएस व धारा 9m/10 पोक्सो एक्ट व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट बढोतरी धारा 65(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 07.05.2025 को थाना चौबिया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत शेखपुर पचार पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ग्राम सन्तोषपुर पचार की तरफ से 01 व्यक्ति पैदल आता हुया दिखायी दिया। जो पुलिस टीम को देखकर वापस भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति का पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिससे आरक्षी अंकित कुमार दायें हाथ मे गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो **01 गोली अभियुक्त रुकमान खाँ पुत्र अमीर खाँ के बायें पैर मे लगी जिसे घायलअवस्था मे शेखपुर रम्पुरा जाने वाले तिराहे के पास समय 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया।**

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रुकमान खाँ पुत्र अमीर खाँ निवासी ग्राम पुंजा थाना चौबिया जनपद इटावा **उम्र 35 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-66/2025 धारा – 75(1)/ 65(2) बीएनएस, 9m/10 पोक्सो एक्ट व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 67/2025 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री विपिन मलिक थाना चौबिया, उ0नि0 संतोष कुमार, उ0नि0 अंकित पटेल, उ0नि0 यशवीर सिंह तोमर, का0 रिपुदमन, का0 अंकित कुमार, का0 देवेश कुमार।